न्यायालय व इजलास श्री लहरी कुमार जैन R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.)

मुकदमा नं 107/14 दावा निर्णय दिनांक 25/01/17

1. मांगीलाल पुत्र सूरजमल जाति बंजारा निवासी खेडाकिशनपुरा तहसील कनवास कोटा।

—वादी

बनाम

1. मूलचंद पुत्र मांगीलाल जाति खारवाल निवासी गिरधरपुरा तहसील कनवास जिला कोटा मृतक जर्ये कायम मुकाम :—
   1) रामचरण पुत्र स्वं मूलचंद
   2) प्रहलाद पुत्र स्वं0 मूलचद जातियान खारवाल निवासीगण गिरधपुरा तहसील कनवास जिला कोटा।
2. हाडौती क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा धूलेट जर्ये प्रबन्धक।
3. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा दरा जर्ये प्रबन्धक।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण

दावा इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89,188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित — श्री महेश कुमार मालव एडवोकेट — वादी की ओर से
श्री अशोक कुमार जैन एडवोकेट — प्रतिवादी नं0 1 की ओर से
श्री त्रिलोक विजय एडवोकेट— प्रतिवादी नं0 2 की ओर से
प्रतिवादी क्रम की 03 की ओर से कोई उपस्थित नंही
तहसीलदार कनवास प्रतिवादी क्रम 04 की ओर से

निर्णय

दिनांक 25.01.2017

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,188 आर.टी. एक्ट.का इस न्यायालय इस आशय का पेश किया कि वादी ने प्रतिवादी क्रम 01 से उसके खाते एवं कब्जे काश्त की माल ग्राम काल्याखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा राज0 की खसरा नंबर 43 (पीपली वाला) की रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा आराजी में से 07 बीघा दक्षिण तरफ की सडक के सहारे की आराजी को बिल एवज 1400/ रूपये में क्रय करके दिनांक 16.06.1972 को उक्त आराजी के विक्रय का पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय सांगोद में करवाया था, जिसके विक्रय

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

हेतु कार्यवाही की जिसमें ... आधार पर इन्तकाल खुलवाने

विलेख की प्रमाणित प्रति इस वाद के साथ संलग्न है, तथा वादी वक्त खरीद से आज दिन तक बदस्तुर उक्त खरीद शुद्वा 07 बीघा सडक के सहारे वाली आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा आज भी वंही पर काबिज काश्त है। खरीद के वक्त फ्रेगमेन्टकानून के कारण उक्त विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरण नंही खुल पाया था, तो वादी ने उपखण्ड अधिकारी सांगोद के समक्ष उक्त विक्रय विलेख के आधार पर इन्तकाल खुलवाने हेतु कार्यवाही की जिसमें उपखण्ड अधिकारी सांगोद द्वारा दिंनाक 04.06.2010 को आदेश क्रमांक रीडर/10/1054 से माल ग्राम काल्याखेडी की खसरा नंबर 43 की 10 बीघा 14 बिस्वा में से 07 बीघा भूमि के नामान्तकरण विक्रय विलेख के आधार पर खोलने की स्वीकृति दी उक्त आदेश की पालना में सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 46 दिंनाक 25.06.2010 खोला गया। हाल सेटमेंट सम्वत 2058 से 2077 के दौरान उक्त खसरा नंबर 43 की 30 बीघा 14 बिस्वा के नयां खसरा नंबर 44 की 0.01 हे0, खसरा नंबर 45 की 3.91 हे0, खसरा नंबर 50 की 1.05 हे0, कुल किता 03 की कुल रकबा 4.97 हे0, कायम किये गये हैं। सेटलमेंट के पूर्व खसरा नंबर 43 की रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा का सम्पूर्ण 01 चक था। जो सडक से लगवा था, वादी की जो जमीन प्रतिवादी क्रम 01 से खरीदी थी वो भी सडक से लगवा 07 बीघा थी।

यह कि हाल सेटलमेंट के बाद उक्त खसरा नंबर के नयें खसरा नंबर कायम किये गये तो सडक की तरफ का खसरा नंबर 50 कायम किया गया तथा उत्तर की तरफ खसरा नंबर 45 एवं 44 कायम किये गये। उपखण्ड अधिकारी सांगोद के आदेश की पालना में राजस्व कर्मचारीयों द्वारा तत्कालीन साबिक खसरा नंबर 43 के मुताबिक वादी के खाते वर्तगान नक्शा अनुसार खसरा नंबर 50 की रकबा 1.05 हे0, एवं खसरा नंबर 45 में से दक्षिण दिशा की 0.07 हे0, कुल 1.12 हे0, आराजी वादी के खाते दर्ज होने चाहिये थी, उसके वजाये राजस्व कर्मचारीयों द्वारा गफलत व लापरवाही पूर्वक बिना सोचे समझे बिना पूराना रिकार्ड व नक्शा देखे ही खसरा नंबर 45 की रकबा 3.91 है,0 आराजी में से 1.12 हे0, दक्षिणी दिशा पर वादी के नाम इन्तकाल संख्या 46 दिंनाक 25.06.2010 से खाते दर्ज कर दी जबकि वर्तमान नक्शे के मुताबिक खसरा नंबर 50 की 1.05 है0, व खसरा नंबर 45 की दक्षिण दिशा की 0.07 है0, कुल किता 02 की कुल रकबा 01.12 है0, आराजी पर वादी काबिज काश्त है। लेकिन उक्त खसरा नंबर पर प्रतिवादी नंबर 01 का नाम खाते में दर्ज होने से व उसे अन्यत्र रहन बैय खुर्द–बुर्द करने पर व वादी को बेदखल करने पर आमादा है। वादी को उक्त त्रृटि की जानकारी दिंनाक 11.05.2012 को सम्बन्धित पटवारी हल्का से नक्शा ट्रैस की नकल व जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर हुई। साथ ही वादी ने प्रार्थना की वादी की खरीद शुद्वा माल ग्राम काल्याखेडी पटवार हल्का बास्याहेडी उपतहसील कनवास हाल तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान की खसरा नंबर 43 की 30 बीघा 14 बिस्वा आराजी में से दक्षिण दिशा की तरफ की 07 बीघा सडक के सहारे वाली आराजी जिसके हाल सेटमेंट सम्वत 2058 से 2077 के बाद नये खसरा नंबर 50 की रकबा 01.05 है0, व खसरा नंबर 45 की रकबा 0.07 है0, दक्षिणी कुल किता 02 की रकबा 01. 12 है0, आराजी वादी के खाते दर्ज की जावे तथा वादी को उसका खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद किया जावे तथा इन्तकाल नंबर 46 दिनाक 25.06.2010 से खसरा नंबर 45 की 3.91 है0 में से दक्षिण दिशा की 01.12 है0 आराजी जो वादी के खाते में गलत तरीके से दर्ज कर दी गयी है। उसे वादी के खाते से

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

हटाकर प्रतिवादी क्रम 01 के खाते दर्ज कर दिया जावे व इन्तकाल नंबर 46 दिंनाक 25.06.2010 को निरस्त फरमाया जावे साथ ही इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त की खरीद शुद्वा खसरा नंबर 43 की 30 बीघा 14 बिस्वा में से दक्षिण दिशा की 07 बीघा आराजी जिसके वर्तमान खसरा नंबर 50 की रकबा 1.05 है0, व खसरा नंबर 45 की रकबा 0.07 है0, दक्षिण दिशा की आराजी में अपना नाम का फायदा उठाकर उसे अन्यत्र कंही रहन बेय खुर्द–बुर्द या हस्तानान्तरण नंही करें नांही वादी के उक्त आराजी पर शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत करें, नांही वादी को उक्त आराजी पर से बेदखल करें, ना तो उक्त कृत्य स्वंय करें ना अपने एजेण्डों से करावें। तथा साथ ही ये भी प्रार्थना की की प्रतिवादी क्रम 02 का रहन नोट जो वादी के हिस्सा आराजी पर दर्ज है, क वाद के निर्णय के बाद वादी के हिस्से में आये खसरा नंबर पर दर्ज कर दिया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 03 का प्रतिवादी क्रम 01 के हिस्से पर जो रहन नोट दर्ज है, उसे वाद के निर्णय के बाद जो प्रतिवादी क्रम 01 के हिस्से में आये उस आराजी पर दर्ज किया जावे। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलवी जारी की गई। प्रतिवादी क्रम 03 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से दिंनाक 06.06.2013 को उसके विरुद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिंनाक 11.07.2013 को वादी एवं प्रतिवादी नंबर 01 ने राजीनामा प्रस्तुत किया जिनकी पहचान सम्बन्धित वकुलायी ने की तथा राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया, प्रतिवादी क्रम 02 की ओर से दिंनाक 27.11.2014 जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया, तथा प्रतिवादी क्रम 04 राजस्थान सरकार की ओर से दिंनाक 04.12.2014 को जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी क्रम 01 की मृत्यु दिंनाक 15.01.2015 को हो जाने से प्रतिवादी क्रम 01 के वारीसान की तरफ से एक प्रार्थना–पत्र बाबत बनाये जाने कायम मुकामन प्रतिवादी क्रम 01 स्वर्गीय मूलचंद का दिंनाक 01.04.2015 को पेश किया जिसमें प्रतिवादी क्रम 01 की जगह उसके पुत्र रामचरण, प्रहलाद पुत्रान स्व0 मूलचंद जाति खारवाल निवासीगण गिरधरपुरा तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान को कायम मुकाम बनाने की प्रार्थना की जिस पर वकील वादी ने अनापत्ति जाहिर की कायम मुकामान का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया, संशोधित टाईटल पेश हुआ जो शामिल फाईल किया गया। कायम मुकामन की तरफ से एडवोकेट श्री अशोक कुमार जैन ने वकालत नामा पेश किया जो शामिल फाईल किया गया।

यह कि वादी व प्रतिवादी क्रम 01 के वारीसान रामचरण व प्रहलाद द्वारा दिंनाक 18.01.2017 को न्यायालय में उपस्थित होकर एक राजीनामा पेश किया, जो निम्न प्रकार है :–

1. यह कि वादी के पास माल ग्राम काल्याखेडी पटवार हल्का बारयाहेडी तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान की खसरा नंबर 50 की रकबा 1.05 है0, व खसरा नंबर 45 की रकबा 3.91 है0, आराजी में से दक्षिण तरफ की 0.07 है0, कुल किता 02 की कुल रकबा 01.12 है0, आराजी रहेगी।
2. यह कि प्रतिवादी क्रम 01 के विधिक वारिसान रामचरण, प्रहलाद पुत्र मूलचंद जाति खारवाल के माल ग्राम काल्याखेडी पटवार मण्डल बारयाहेडी तहसील कनवास जिला कोटा की खसरा नंबर 45 की रकबा 03.91 है0, में से उत्तरी तरफ की 03.84 है0, आराजी रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

3. यह कि मुताबिक राजीनामा पक्षकारान के मध्य यह भी तय हुआ है कि राजीनामा के उपरान्त जो कृषि भूमि पक्षकारान के पृथक–पृथक हिस्से में खाते दर्ज होगी उस हिस्से की भूमि पर अपने–अपने बैंक का रहन का इन्द्राज दर्ज कर दिया जावे।जिसमें हम आपत्ति नंही करेंगे। तथा अपना–अपना ऋण अदा करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
4. यह कि वादी व प्रतिवादी क्रम 01 के वारिसान हमेशा उक्त राजीनामा पालन करेंगे। एवं एक दूसरे के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में कभी मदाखलत व मजामहत नंही करेंगें।

साथ ही राजीनामा पेश कर राजीनामा तस्दीक कर मुताबिक राजीनामा वाद का निस्तारण कर राजीनामा मुताबिक आराजी खाते दर्ज करने की प्रार्थना की। वादी को श्री महेश कुमार मालव एडवाकेट ने पहचान की व प्रतिवादी क्रम 01 के वारिसान की पहचान श्री अशोक कुमार जैन एडवाकेट ने की, प्रस्तुत राजीनाम तस्दीक किया गया। क्योंकि पक्षकारान के मध्य आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया जा चुका है।

अतः मुताबिक राजीनामा अनुसार वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वादी मांगीलाल पुत्र सुरजमल जाति बंजारा निवासी खेडाकिशनपुरा तहसील कनवास जिला कोटा के खाते माल ग्राम काल्याखेडी पटवार हल्का बास्याहेडी तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान की खसरा नंबर 50 की रकबा 1.05 है0, व खसरा नंबर 45 की रकबा 3.91 है0, आराजी में से दक्षिणी तरफ की 0.07 है0, कुल किता 02 की कुल रकबा 01.12 है0, आराजी खाते दर्ज की जावे। वादी को इसका खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी क्रम 01 के विधिक वारिसान रामचरण, प्रहलाद पुत्रान स्व0 मूलचंद जाति खारवाल निवासी गिरधरपुरा तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान के माल ग्राम काल्याखेडी पटवार हल्का बास्याहेडी तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान की खसरा नंबर 45 की रकबा 03.91 है0, में से उत्तरी तरफ की 3.84 है0, आराजी खाते दर्ज किया जावे। साथ ही ये भी आदेश दिया जाता है कि वादी के हिस्सा आराजी पर प्रतिवादी क्रम 02 रहन नोट दर्ज है वह मुताबिक निर्णय जो आराजी वादी के आयी है उस पर दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी क्रम 01 के वारिसान की हिस्सा आराजी पर प्रतिवादी क्रम 03 का जो रहन नोट दर्ज है, वह मुताबिक निर्णय प्रतिवादी क्रम 01 के वारिसान के हिस्से में आयी आराजी पर दर्ज किया जावे इसके लिये सम्बन्धित बैंक आवश्यक कार्यवाही करें, तदानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास (कोटा)

प्रतिवादी क्रम 01 के वारिसान के हिस्से में आयी आराजी पर दर्ज किया जावे इसके लिये सम्बन्धित बैंक आवश्यक काग्रवाही करें। तदानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... x ...मुबलिग .... x ..बाबत ... x ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... x ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... x ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..25 माह ..1/17 को जारी की गई।

मोहर ....

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा ...			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा....		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक ...		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा